

फैक्स

पत्र सं०-सी०/ए०-20-18/2011.....⁵⁸⁸⁵...../जे०

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

पटना, दिनांक.....⁰⁸⁻⁰⁹⁻¹⁵

विषय:- खगड़िया जिला के लिए अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभाग के पत्रांक-5678, दिनांक-04.09.2015 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा खगड़िया जिला के लिए कुल 11 अधिवक्ताओं को अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त पत्र के क्रमांक-1 पर अंकित नाम श्री अजय कुमार सिंह, पंजीयन संख्या-1963/95 द्वारा त्यागपत्र देने के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर राज्य सरकार ने श्री भाषा नन्दन प्रसाद, पंजीयन संख्या-800/91 को अपर लोक अभियोजक, खगड़िया के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है एवं कार्यहित में सुश्री रंजना कुमारी, पंजीयन संख्या-7459/96 को अपर लोक अभियोजक, खगड़िया के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्ति की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी का अपर लोक अभियोजक में प्रोन्नति के सभी दस पदों पर समान प्रोन्नति होने की तिथि से इनकी नियुक्ति अपर लोक अभियोजक के पद से स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

2. बाँकी सभी शर्तें यथावत् रहेगी।

विश्वासभाजन



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....⁵⁸⁸⁵...../जे०, पटना, दिनांक.....⁰⁸⁻⁰⁹⁻¹⁵.....,

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया/लोक अभियोजक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....⁵⁸⁸⁵...../जे०, पटना, दिनांक.....⁰⁸⁻⁰⁹⁻¹⁵.....,

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

